

उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि० , उदयपुर

गोवर्धन विलास अहमदाबाद रोड , उदयपुर (राज०)

कार्य क्षेत्र जिला उदयपुर

अल्पकालीन निविदा प्रपत्र (भोजन व्यवस्था हेतु)

- (1) निविदा प्रपत्र संख्या :- Udaipur/Purchase/AGM/ 795 dt. 06.05.2023
- (2) निविदा सन्दर्भ :- दुग्ध संघ उदयपुर की 24 वीं वार्षिक आम सभा एवं दुग्ध दिवस समारोह दिनांक 22.05.2023 हेतु दुग्ध उत्पादकों के लिये भोजन व्यवस्था के कार्य की आपूर्ति ।
- (3) निविदा प्रपत्र शुल्क :- दो सौ रुपये (Rs (500+90=590/-)
- (4) निविदा प्रपत्र क्रय करने की अन्तिम तिथि :- 15.05.2023 दोपहर 1.00 बजे तक
- (5) निविदा प्रपत्र पुनः कार्यालय में जमा करवाने की तिथि व समय :- 15.05.2023 दोपहर 2.00 बजे तक
- (6) निविदा प्रपत्र खोलने की तिथि व समय :- 15.05.2023 दोपहर 3.00 बजे
- (7) धरोहर राशि रुपये (डी.डी द्वारा) :- रुपये 5,000/- (पांच हजार रुपये) केवल बैंक DD द्वारा

निविदादाता द्वारा भरा जाना है ।

1. निविदादाता/फर्म का नाम पूरा पता व
टेलीफोन नम्बर
.....
.....
2. अमानत राशि का विवरण
.....
रुपया
रसीद संख्या दिनांक
3. (क) PAN नं. (फॉटोकोपी संलग्न करें)
(ख) Aadhar नं. (फॉटोकोपी संलग्न करें)
उक्त फॉटोकोपी संलग्न नहीं करने पर निविदा स्वीकार नहीं होगी।
.....
4. निविदादाता द्वारा भरी जाने वाली दर दर (सम्पूर्ण व्यवस्था हेतु सभी कर सहित)
रु. प्रति व्यक्ति
संलग्न परिशिष्ट अ के मीनू के अनुसार भोजन एंवम केटरिंग की समस्त व्यवस्था की दर कर सहित प्रति व्यक्ति शब्दों मे..... प्रति व्यक्ति

दिनांक :

स्थान : उदयपुर

निविदादाता के हस्ताक्षर

मय पूरा नाम पता व फोन नं. सहित

.....
.....

उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि० , उदयपुर

गोवर्धन विलास अहमदाबाद रोड़ , उदयपुर (राज०)

भोजन व्यवस्था एवं केटरिंग हेतु आवश्यक शर्तें

1. निविदा अच्छी तरह से एक मोहरबन्द लिफाफे में दी जानी चाहिये ।
2. दरों की लिखावट बिना किसी प्रकार की कांट-छांट के होनी चाहिये ।
3. दरें अंकों व शब्दों दोनों में लिखी जानी चाहिये ।
4. निविदा प्रपत्र स्याही से ही भरा जाना चाहिये । अगर किसी प्रकार की कांट-छांट हो तो हस्ताक्षर कर प्रमाणित होना चाहिये ।
5. निविदादाता अपना पूरा पता निविदा प्रपत्र में अंकित करेगा । यदि उसके यहां टेलिफोन एवं मोबाईल फोन की सुविधा हो तो इनके नम्बर भी लिखेगा ।
6. निविदादाता वही होगा जो वास्तव में भोजन व्यवस्था व केटरिंग का अनुभवी हो ।
7. निविदादाता को रुपये 5000/- (पांच हजार) ड्राफ्ट के रूप में अमानत राशि जमा करानी होगी जो कार्य समाप्ती के पश्चात बैंक द्वारा भुगतान किया जावेगा ।
8. निविदा पत्र के साथ संलग्न भोजन व्यवस्था, पानी एवं केटरिंग के विवरण निर्देशानुसार निर्धारित दिनांक को निर्धारित समय पर उपलब्ध कराना होगा ।
9. उपरोक्त कार्य सम्बन्धित सामान लाने व ले जाने का व्यय एवं केटरिंग, बुफे व्यवस्था प्रेषित दरों में सम्मिलित होगा ।
10. किसी भी प्रकार का विक्रय कर, सर्विस टैक्स आदि निविदादाता को वहन करना होगा ।
11. भोजन व्यवस्था में उपयोग में लिये जाने वाला सामान तेल/आटा/घी/सब्जियां/पानी आदि साफ सुथरी व अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिये। शुद्ध देशी घी एवं रिफाईंड तेल का इस्तेमाल करना होगा ।
12. भोजन स्थल (सभास्थल) से कुर्सिया हटाकर भोजन परोसकारी करने की व्यवस्था एवं भोजन उपरांत सफाई की समुचित व्यवस्था सफल निविदादाता को करनी होगी ।
13. परोसकारी एवं अन्य संबन्धित कार्य करने की समुचित व्यवस्था सफल निविदादाता को करनी होगी व इस व्यवस्था मे कोई कमी अथवा भोजन की गुणवत्ता मे कमी पायी जाने पर भुगतान मे से कटौती करली जावेगी ।
14. कार्यक्रम के दौरान निविदादाता द्वारा एक आदमी (सुपरवाइजर) व्यवस्था पर निगरानी हेतु उपस्थित रखना होगा ।
15. निविदादाता द्वारा निर्देशानुसार व्यवस्था पूर्ण कर भुगतान हेतु बिल दो प्रतियों में प्रस्तुत करना होगा । भुगतान बिल प्राप्ति के पश्चात बैंक द्वारा किया जावेगा । बिल मे GST अलग से दर्शायी जानी होगी ।
16. निविदादाता द्वारा यदि निर्देशानुसार व्यवस्था पूर्ण नहीं की जाती है तो प्रेषित बिल से प्रबन्ध संचालक महोदय द्वारा बताई गई राशि पेनेल्टी के तौर पर लगाई जावेगी जो कि फर्म को जमा करवानी होगी अथवा बिल मे से काट ली जावेगी ।
17. निविदादाता द्वारा प्रेषित बिल में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित टैक्स आदि कटौती निर्धारित है तो की जावेगी ।
18. निविदादाता कि अपनी कोई शर्त मान्य नहीं होगी ।
19. प्रबन्ध संचालक किसी भी निविदा को स्वीकृत करने को सक्षम होगा उसके लिये यह आवश्यक नहीं कि न्यूनतम दरों को ही स्वीकृत किया जावे । दर के साथ सक्षमता एवं अनुभव को वरीयता दी जायेगी। अपने अनुभव का [विवरण/ब्यौरा](#) संलग्न करे। प्रबन्ध संचालक कोई कारण दिये बिना, किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को निरस्त कर सकता है ।
20. शर्तों नियमों के अर्थ व आशय पर प्रबन्ध संचालक, उदयपुर का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा ।
21. भोजन का मीनू संलग्न परिशिष्ट अ के अनुसार होगा ।
22. बिल का भुगतान पक्का बिल जिसमे GST नंबर, सर्विस टैक्स नंबर व PAN नंबर (आवश्यकता अनुसार) आदी का उल्लेख हो, प्रस्तुत करने पर ही दिया जाना संभव होगा ।

उपरोक्त समस्त शर्तें मेने अपने पूर्ण होशो हवास में अच्छी तरह पढकर समझली है तथा मुझे/ हमें उपरोक्त सभी शर्तें मंजूर है ।

निविदादाता के हस्ताक्षर

नाम.....

पता

.....
.....

उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि० , उदयपुर

गोवर्धन विलास अहमदाबाद रोड़ , उदयपुर (राज०)

दुग्ध उत्पादकों के लिये दिनांक 22.05.2023 (सोमवार) हेतू
भोजन व्यवस्था एवं केटरिंग के कार्य की आपूर्ति ।

भोजन (लंच) का मीनू :

1. बेसन चक्की
2. मक्खन बडा
3. दाल (चना)
4. मिक्स सब्जी
5. खीचड़ी (पुलाव)
6. पूड़ी,
7. पकोडे,
8. रायता (बूंदी)
9. सलाद, अचार, पापड/सलेवडे,
10. पानी।

व्यक्तियों की संख्या :

2500 न्यूनतम

खिलाने की व्यवस्था :

परोसकारी (सर्व) करने एवं सफाई व्यवस्था के लिये समुचित व्यक्ति

केटरिंग व्यवस्था :

बुफे, मय टेबल, कवर, क्राकरी (प्लेट एवं बॉउल) डिस्पोसेबल ग्लास,
पेपर नेपकीन इत्यादि।

निविदादाता के हस्ताक्षर

नाम.....

पता

.....

.....